न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ,कासगंज

उपस्थित-आदित्य चतुर्वेदी (एच०जे०एस०) JOID-UP6311

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1723 /2022

योगेश पुत्र फूल सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम नगला भम्मा थाना सहावर जिला कासगंज

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

धारा-363,366,376 भा०द०सं०

धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट

थाना-सहावर

मु०अ०स०-17/2022

02.11.2022-

अभियुक्त योगेश के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक को सुनकर आज आवेदन आदेश हेतु नियत है।

अभियुक्त के ऊपर वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीड़िता सोलह वर्षीया को कथित दिनांक व समय पर शौच से वापिस घर आने पर माँ की व्यस्तता के दौरान घर से अचानक गायब हो कर तलाशी के दौरान ही अनजान नम्बर से पीड़िता की गुड़गाव में मौजूदगी बताकर अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने हेतु आरोपित किया गया है। मूलतः मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र 363,366 भा०दं०सं० में अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज हुयी थी दौरान विवेचना बलात्कार व पॉक्सो की अभिवृद्धि हुयी है। मामले की एफ०आई०आर० के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह घटना 18.01.2022 को सुबह पांच बजे की बतायी जाती है। जिसकी रिपोर्ट छः दिन विलम्ब से पंजीकृत होती है। उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में यदि हम तहरीर का अवलोकन करे तो उससे स्पष्ट है कि अपनी पुत्री/पीड़िता के गुड़गांव में मौजूद होने व योगेश द्वारा भगा ले जाकर रखने के बारे में वादी को दिनांक 21.01.2022 को ही फोन पर कॉल आकर पता चल गया था किन्तु फिर भी वह तीन दिन विलम्ब से पुलिस थाने गया । यह एक शंकास्पद परिस्थिति है इसके अतिरिक्त पी़डिता ने अपने बयान 161 सी0 आर 0 पी0 सी0 में स्वयं को कक्षा आठ पढ़ी होना बताकर विवेचक को अपनी उम्र 18 वर्ष बतायी है तथा यह बयान दिया है उसके माता-पिता उसकी शादी जबरदस्ती कराना चाहते है तथा वह अभी शादी करना नही चाहती है कथित दिनांक को वह इसी बात से नाराज होकर वह घर से रात 10.00 बजे पैदल सोरो चली गयी थी और रात में स्टेशन से वृदावन चली गयी थी उसने यह भी कहा है कि वह वृंदावन अकेली गयी थी वहां पर वह पांच दिन तक एक आश्रम में रूकी रही ।वह अपने घर से कोई रूपया पैसे या जेवर लेकर नही गयी थी। इस प्रकार पी़डिता अपने बयान 161 सी०आर०पी०सी० में पूर्णरूपेण अभियुक्त की संलिप्तता के बावत कोई बयान नही दे रही है। इस बयान की पुष्टि पीड़िता न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिये बयान अंतर्गत धारा 164 सी0 आर 0 पी0 सी0 में कर रही है तथा यही बाते बताते हुए अभियुक्त को जानना नही बताती है और उसे किसी व्यक्ति द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाने से स्पष्ट इन्कार कर रही है। अतः पीड़िता के बयान 161 सी०आर०पी०सी० व 164 सी०आर०पी०सी० के अवलोकन से प्रथम

दृष्टया मामले में अभियुक्त की संलिप्तता संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में विवेचक ने जो टी०सी० 15 अ/1 कक्षा छः की पीड़िता की जन्मतिथि के बारे में दाखिल की जिसमें जन्मतिथि 01.01.2006 अंकित है जब इसके प्रत्युत्तर में अभियुक्त ने बहस के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पीड़िता के प्राथमिक पाठशाला नगला भम्मा पोस्ट बाजनगर विकासखण्ड सहावर कासगंज के प्रधानाचार्य से प्राप्त वह मूल सूचना प्रस्तुत की है जिसमें उक्त प्राथमिक पाठशाला में पीड़िता की जन्मतिथि विद्यालय के रजिस्टर में 03.06.2003 दर्ज होना बतायी गयी है। यह जन सूचना एक वैधानिक मान्यता प्राप्त सूचना है तथा पीड़िता की जन्मतिथि साबित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक प्रपत्र के रूप में मानी जा सकती है ।चूंकि दोनो प्रपत्रों मे तीन वर्षों का विरोधाभास है तथा बचाव पक्ष के जनसूचना से अभियोजन का पीड़िता के बारे में नाबालिग होने सम्बन्धी दावा संदेह में आ गया है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायसंगत होगा । मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित प्रावधानों में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है अतः अब विवेचना को भी प्रभावित किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है । अभियुक्त प्रश्नगत मामले में 23.03.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है उसका कोई आपराधिक इतिहास पुलिस ने प्रस्तुत नही किया है। अतः सम्पूर्ण विवेचन से प्रस्तुत केस के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का केस जमानत के योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त योगेश कुमार की ओर से मु०अ०स०-17/2022 धारा-363,366,376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 पॉक्सो अधिनियम थाना सहावर के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मुबलिग 1,00,000/-(एक लाख रूपये) के दो प्रतिभू व समान धनराशि का एक बंधपत्र निम्न शर्तों पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये-

1- यह कि अभियुक्त जमानत पर छूटने के पश्चात इस प्रकार का या अन्य प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

2-यह कि अभियुक्त जमानत के दौरान प्रस्तुत केस से सम्बद्ध किसी गवाह पर अनुचित प्रभाव नहीं डालेगा और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

3- यह कि अभियुक्त मामलें में आरोप विरचन व बयान 313 के वक्त न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगा।

4-यह कि अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमित छोड़कर देश छोड़कर नहीं जायेगा।

(आदित्य चतुर्वेदी)

दिनांक-02.11.2022

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,

जनपद कासगंज।

(JOID-UP6311)